

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 229 /

/ दो-15-3 / 90

रीवा, दिनांक 17 / 10 / 2025

श्री मुकेश कुमार कोरी, अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक-आरसीएसए/290/2025 मदनेश कुमार पाण्डेय बनाम अशोक कुमार पाण्डेय में दावा का मूल्य 9,50,000/- रुपये होने एवं कार्य विभाजन पत्रक अनुसार 5 लाख 01 रुपये से 01 करोड़ रुपये तक के सभी प्रकार के व्यवहार वाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड की न्यायालय को होने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मुकेश कुमार कोरी, अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक-आरसीएसए/290/2025 मदनेश कुमार पाण्डेय बनाम अशोक कुमार पाण्डेय को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क0 5126 /

/ दो-15-3 / 90

रीवा, दिनांक 17 / 10 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
2. अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
की ओर प्रकरण क्रमांक-आरसीएसए/290/2025 मदनेश कुमार पाण्डेय बनाम अशोक कुमार पाण्डेय मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)